ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-150/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून** के माह 02/2018 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संदीप चौधरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06-03-2021 से 17-03-2021 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** कार्यालय, **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून** के अवधि 02/2016 से 01/2018 तक के व्यय के लेखा अभिलेखों विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री विजय पाल सिंह नेगी, व॰ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.02.2018 से 12.02.2018 तक श्री वैभव शुक्ला, सहायक महालेखाकार के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप देहरादून जनपद मे स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण संबंधी सुविधा प्रदान करना है।

(ब) **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र -** जनपद देहारादून के अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों से भी मरीज उपचार हेतु आते है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	901.06	900.27	-	0.79
2018-19		1092.87	1091.46		1.41
2019-20	-	1928.55	1921.21	-	7.34
2020-21 (08/2020)	-	1849.81	1839.62	-	-

केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त (ब्याज सहित)**	**व्यय**	**बचत (-)**
2017-18	NHM	22.48	141.41	118.04	45.86
2018-19		45.86	144.86	120.93	69.78
2019-20		69.78	233.21	181.01	121.98
2020-21(01/2021 तक)		121.98	188.28	155.49	-

***व्याज की राशि भी सम्मिलित है।**

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केंद्र सरकार से प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त यूजर चार्जेज़ से भी आय प्राप्त होती है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव - महानिदेशक - निदेशक - अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक - संयुक्त निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक - वरिष्ठ चिकित्साधिकारी

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 02/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, (संशोधन), 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर:01- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर रु 291.17 लाख का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 बिन्दु संख्या 3(10) के अनुसार निम्नतर दरो का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति की जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा तथा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु संख्या 33 के अनुसार "जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु. 25000/- (जीवन रक्षक औषधियों के क्रय के मामलों में रु. 50000/-) तक हो, प्रत्येक अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन/निविदा के खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है एवं बिंदु संख्या 34 के अनुसार रु 25,000 से अधिक तथा रु 2.50 लाख तक की लागत की सीमा मे क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/ कार्यलाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यो की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है यह क्रय समिति दरो की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के बिन्दु संख्या 35 के अनुसार 2.5 लाख से अधिक की धनराशि की समस्त सामग्रियों का क्रय समस्त विभागो मे ई प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से कराया जाए।

उत्तराखंड औषधि क्रय नीति 2019 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सीपीएसयूई हेतु आरक्षित 103 औषधियो को छोडकर ईडीएल मे सम्मिलित शेष समस्त औषधियो का क्रय ई-प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत निविदा प्राप्त की कार्यवाही उत्तराखंड राज्य के **Public Procurement Portal** www.uktenders.gov.in से विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। **Procurement Portal** के माध्यम से केवल ऑनलाइन निविदा ही प्राप्त की जाए। ई-टेंडर से प्राप्त दर अनुबंध के अंतर्गत औषधि का क्रय केन्द्रीय क्रय समिति के अनुमोदन के उपरांत परिधिगत अधिकारी/विभागाध्यक्ष अपने वित्तीय अधिकारो की सीमा तक कर सकेंगे। इससे अधिक के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

दिनांक 31.08.2020 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता मे बैठक आहूत की गयी जिसमे अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियमानुसार सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष मे जिला चिकित्सालय हेतु क्रय की जाने वाली सर्जिकल/ औषधि/ रसायन/ कंटिजेंसी/ लेखन सामग्री का मूल्य निश्चित रूप से 2.5 लाख से अधिक होता है अतः कोटेशन की प्रक्रिया न अपनाकर निविदा प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अपनाई जाये। यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो इसके लिए संबन्धित कर्मी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

कार्यालय के औषधियो, सर्जिकल आइटम एवं उपकरणो के क्रय से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया कि चिकित्सा प्रबन्धन की क्रय समिति द्वारा 2.5 से अधिक के क्रय

को भी कोटेशन के अंतर्गत स्वीकार कर अनुमोदन किया गया था जो क्रय समिति के अधिकारो का उल्लंघन था। चिकित्सालय द्वारा औषधि, सर्जिकल आइटम और उपकरण को कोटेशन के माध्यम से टुकड़ो मे क्रय किया गया था, चिकित्सालय द्वारा 02/2018 से 02/2021 तक रु 291.17 लाख (सूची संलग्न) तक की औषधि सर्जिकल आइटम और उपकरण का क्रय कोटेशन एवं स्थानीय क्रय के माध्यम से किया गया था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा रु 291.17 लाख की औषधि, सर्जिकल सामाग्री एवं उपकरणो का क्रय निविदा के माध्यम से न कर कोटेशन के माध्यम से किया गया, जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली एवं उत्तराखण्ड औषधि क्रय नीति का उल्लंघन है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सालय द्वारा तथ्यो एवं आंकणो की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि आकस्मिकता की स्थिति मे कोटेशन की प्रक्रिया अपनाई गयी एवं भविष्य मे अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि "मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता मे बैठक आहूत मे अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियमानुसार सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष मे जिला चिकित्सालय के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सर्जिकल/ औषधि/ रसायन/ कंटिजेंसी/ लेखन सामग्री का मूल्य 2.5 लाख से अधिक होता है तो कोटेशन की प्रक्रिया न अपनाकर निविदा प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अपनाई जाये। यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो इसके लिए संबन्धित कर्मी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होगा" इसके बाबजूद भी चिकित्सालय द्वारा निविदा की प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही थी जो कि एक गंभीर अनियमितता थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

<u>प्रस्तरः02-</u> अटल आयुष्मान योजना में रू 6.72 लाख की खरीद अपंजीकृत फर्म से सीधे एम.आर.पी. पर किया जाना।

इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के अनुसार वर्तमान तक राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) अटल आयुष्मान योजना के माह मई 2019 से जुलाई 209 के मध्य में रू 1,29,987/- का व्यय किया गया।

अभिलेखों के अनुसार समस्त क्रय एक ही मेडिकल स्टोर से किया गया। जो अभिलेखों के अनुसार न तो पंजीकृत थी और न ही कोटेशन के अंतर्गत क्रय किया गया। उक्त के अतिरिक्त माह अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक रू 5,43,537/- का क्रय बिना कोटेशन/निविदा के उसी मेडिकल स्टोर से किया गया। जबकि पूर्व में क्रय करते समय गठित समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि भविष्य में नियमानुसार कोटेशन/निविदा प्रक्रिया अपनाकार क्रय एवं भुगतान कार्यवाही सम्पन्न की जाय। परंतु इकाई द्वारा समिति के आदेश एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किए बिना सामग्री क्रय किया जाय। उपरोक्त सभी क्रय से पूर्व सक्षम प्राधिकारी तथा क्रय समिति से अनुमोदन भी प्राप्त नही किया गया।

साथ ही यह भी पाया गया कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार करवाने वाले कार्ड धारक रोगियों की संख्या अत्याधिक मात्रा में बढ़ गई थी। जिसके अंतर्गत शल्य क्रियाओ में उपचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले आवश्यक सामग्रियों को क्रय किया जाना आवश्यक था। जिससे कार्ड धारक रोगियों के परिजनों के इलाज में बाधा न हो। परंतु अभिलेखों के अनुसार जनवरी 2020 के बाद शल्य क्रियाओ में उपचार हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्री या औषधि के क्रय हेतु भी कोई कार्यवाही नही की गई। जबकि इकाई के पास रोकड़ बही के अनुसार रू 92.00 लाख अवशेष थी। साथ ही यह भी पाया गया कि इकाई जो औषधि यह शल्य क्रय की गई वही एम.आर.पी. की दर पर क्रय की गई।

इकाई से इस संबंध में पूछे जाने पर कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किए बिना अपंजीकृत फर्म से टुकड़ों में क्रय किए जाने के क्या कारण थे। तथा एम.आर.पी. पर चिकित्सालीय सामग्री क्रय किए जाने से क्या कारण थे।

इकाई ने उत्तर में बताया कि कार्य की आकस्मिकता के कारण अपंजीकृत फर्म से खरीद की गई। भविष्य में खरीद प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखा जायेगा। तथा एम.आर.पी. से 23.00% कम पर खरीद की गई था।

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योकि आकस्मिकता के आधार पर पंजीकृत फर्मों से ही कोटेशन के आधार पर क्रय नही किया गया तथा अभिलेखो के अनुसार दवाइयों की खरीद एम.आर.पी. पर ही गयी थी। जो औषधि क्रय नीति के विरूद्ध थी।

अतः आयुष्मान योजना में रू 6.72 लाख की खरीद अपंजीकृत फर्म से सीधे एम.आर.पी. पर किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग 2-ब</u>

<u>प्रस्तरः03-</u> कोविड-19 के खरीद मे उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न करके रु 11.43 लाख के सीधे खरीद किया जाना

शासनादेश संख्या-255/xxvii-4-2020-12-20 दिनांक 23 मार्च 2020 के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड से स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु जारी दिशानिर्देश के अनुसार, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 25 (च), (दो), (तीन), (चार) एवं (पाँच) के अनुसार एकल स्रोत से केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अन्य विभागीय निविदा की दरो पर क्रय/प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। तथा 29 मई 2020 मे मा० मंत्रिमंडल की बैठक मे कोविड 19 के प्रसार एवं उसके संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक औषधियों तथा उपकरणो के क्रय एवं जनहित मे आकस्मिक अधिप्राप्तियों के लिये अधिकृत किए जाने हेतु यह निर्णय लिया गया था की कोविड 19 हेतु प्राप्त बजट के सापेक्ष उपकरणो एवं औषधियो के क्रय हेतु उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधान के अनुसार चार दिन के अल्पकालीन निविदा सूचना के आधार पर क्रय करने तथा ऐसे प्रकरणो जिनमे अल्पकालीन निविदा करना संभव न हो को नियम 25 (च) (दो) (तीन) (चार) एवं (पाँच) के अनुसार एकल स्रोत से केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकारो एवं उत्तराखंड राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उसके पश्चात की गयी निविदा की दरो पर किया जायेगा। साथ ही बिन्दु 4 (ख) मे यह भी निर्णय लिया गया था की विभिन्न उपकरणो/सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु विशिष्टियों तथा संख्या का निर्धारण विभागीय अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

इकाई के कोविड-19 के अभिलेखो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया की निम्नलिखित खरीद मे कोटेशन/निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तथा त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र जारी किया गया की वित्तीय वर्ष मे किसी भी single आइटम का क्रय रु 2.50 लाख से अधिक नहीं किया गया । जबकि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निम्नतम दरो का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय। जो विभाग द्वारा नहीं किया गया।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत निम्नलिखित सामग्री सीधे फ़र्म से क्रय की गई-

क्रम संख्या	फ़र्म का नाम	क्रय सामग्री का विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
01	उत्तराखण्ड औद्योगिक विपणन सहकारिता	चिकित्सकीय सामग्री	215789/-	टुकड़ो मे सीधे क्रय
02	आशीर्वाद फार्मा	चिकित्सकीय सामग्री	263004/-	टुकड़ो मे सीधे क्रय

03	रेखा फार्मास्युटिकल	चिकित्सकीय सामग्री	197680/-	टुकड़ो मे सीधे क्रय
04	सार्थक इंटरप्राइसेस	चिकित्सकीय सामग्री	467450/-	टुकड़ो मे सीधे क्रय
		कुल राशि	**1143923/-**	

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर की उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न किये जाने तथा त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के क्या कारण थे।

इकाई ने उत्तर मे बताया की आकस्मिकता के आधार पर उत्तरखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 33 के अनुसार क्रय की गयी। तथा भविष्य मे संशोधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि नियम 33 जीवन रक्षक औषधीयों के संबंध मे है। जबकि कोविड 19 हेतु प्राप्त बजट के सापेक्ष उपकरणो एवं औषधियो के क्रय हेतु उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधान के अनुसार चार दिन के अल्पकालीन निविदा सूचना के आधार पर क्रय करने तथा ऐसे प्रकरणो जिनमे अल्पकालीन निविदा करना संभव न हो को नियम 25 (च) (दो) (तीन) (चार) एवं (पाँच) के अनुसार एकल स्रोत से केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकारो एवं उत्तराखंड राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उसके पश्चात की गयी निविदा की दरो पर किया जाना चाहिये था। साथ ही प्रत्येक आइटम को दर्शाकर सीधे खरीद कर त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिये था।

अतः कोविड-19 के खरीद मे उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न करके रु 11.43 लाख के सीधे खरीद किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग 2-ब</u>

<u>प्रस्तरः04-</u> डी0ई0आई0सी0 विभाग मे रु 14.11 लाख के औषधि का अंकन स्टाक पंजिका मे न होने तथा प्रस्तुत रु 18.79 लाख के बिलो का भुगतान लम्बित रहना।

डाक पंजिका के अंतर्गत डेड स्टाक पंजिका (मेडिसिन) के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया की माह 03/2018 को संलग्नक -1 सूची के अनुसार डीईआईसी विभाग से संबन्धित दवाइयों[1] की खरीद हेतु एक फर्म से क्रय की गयी रु 23.46 लाख की मेडिसिन को अंकित किया गया। किन्तु डीईआईसी विभाग की वर्ष 2017-18 और 2018-19 की स्टाक पंजिका के अंकन मे मेडिसिन Desirox 500 mg के मात्र दो बिलो क्रमशः बिल संख्या 12 धनराशि रु 249480/- एवं बिल संख्या 532 धनराशि रु 249480/- का तथा वर्ष 2017-18 मे ल्यूकोसाइट फ़िल्टर के 04 बिलो क्रमशः बिल संख्या 515 से 518 तक धनराशि रु 109054/- (प्रत्येक) का ही अंकन स्टाक पंजिका मे किया गया है। अर्थात कुल रु 935176/- के बिलो का ही अंकन स्टाक पंजिका मे किया गया है। साथ ही डाक पंजिका के अंतर्गत डेड स्टाक पंजिका (मेडिसिन) के निरीक्षण मे यह भी प्रकाश मे आया की दिनाक 16.04.2019 को समस्त बिलो को आपत्तियों के साथ मूल रूप मे लेखा अनुभाग द्वारा संबन्धित विभाग को वापस कर दिया गया था की क्रय प्रक्रिया का विवरण बिल/बाउचर्स के साथ संलग्न नहीं है। वर्तमान तक (मार्च 2021) लेखा अनुभाग द्वारा उपलब्ध बिल/बाउचर्स के अनुसार बिल संख्या 517 एवं 518 पर क्रमशः रु 109054/- (प्रत्येक) तथा बिल संख्या 532 पर रु 249480/- का ही भुगतान किया गया।

इस संबंध मे पूछे जाने पर की रु 23.46 लाख की समस्त मेडिसिन को स्टाक पंजिका मे न दिखाकर मात्र रु 9.35 लाख का ही अंकन किये जाने के क्या कारण है। तथा शेष राशि रु 14.11 लाख के मेडिसिन को किस स्टाक पंजिका मे अंकित किया गया है। तथा रु 23.46 लाख मे से मात्र रु 4.67 लाख के बिलो का ही भुगतान किये जाने के क्या कारण थे।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया की मात्र रु 9.35 लाख का अंकन स्टाक पंजिका मे किया गया है। अन्य किसी स्टाक पंजिका मे अंकन नहीं है। बिलो के साथ जिन पर क्रय प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध नहीं था। उन बिलो पर आपत्तियाँ लगायी गई है।

इकाई के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है की चिकित्सालय के संबन्धित विभाग द्वारा रु 14.11 लाख की क्रय की गई औषधि को स्टाक पंजिका मे अंकन नहीं किया गया। तथा भुगतान हेतु प्रेषित बिलो पर क्रय प्रक्रिया का विवरण भी संलग्न नहीं था।

अतः डी0ई0आई0सी0 विभाग मे रु 14.11 लाख के औषधि का अंकन स्टाक पंजिका मे न होने तथा रु 18.79 लाख के बिलो मे क्रय प्रक्रिया का विवरण संलग्न न होने के कारण भुगतान लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

[1] Desirox 500 mg,leucocytes filter

संलग्नक-1

बिल संख्या दिनांक सहित	फर्म का नाम	धनराशि	अभ्युक्ति
527 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
515 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
516 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
517 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
518 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109054/-	
519 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109054/-	
520 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109054/-	
522 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109054/-	
521 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109054/-	
523 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109054/-	
524 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	54000/-	
526 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
525 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
528 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
527 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
534 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
529 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
530 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
531 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
532 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
533 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
536 19/03/2018	श्रुति इंटर प्राइजेस देहरादून	109200/-	
	कुल योग	**2346324/-**	

भाग- दो (ब)

प्रस्तर-:05- पं० दीनदायल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून में वाहन पार्किंग के ठेके में निविदा शर्तों के विपरीत ठेकेदारों से रु. 6.58 लाख की धनराशि अप्राप्त रहना।

पं० दीनदायल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून एवं महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय विज्ञान केंद्र, देहरादून में वाहन पार्किंग के ठेके में निविदा शर्तों के में स्पष्ट किया गया था कि निविदा जिस ठेकेदार या निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत होगी उसके सम्पूर्ण धनराशि नकद के रूप में एक सप्ताह के अंदर कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार की जमा प्रतिभूति जब्द कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

कार्यालय, प्रमुख अधीक्षक, पं. दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र, देहरादून के सम्बन्ध में वर्ष 2019-20 (दिनांक: 01.09.2019 से 31.08.2020 तक) वाहन पार्किंग हेतु मै. अमीर अहमद द्वारा अधिकतम बोली, रु. 3,30,000/- लगाई गयी तथा उन्हे दिनांक: 01.09.2019 से कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश समस्त धनराशि 10.09.2019 तक जमा करने की शर्त के साथ जारी किया गया। इसके अलावा पं० दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून के सम्बन्ध में वर्ष 2019-20 (दिनांक: 01.09.2019 से 31.08.2020 तक) वाहन पार्किंग हेतु मै. आशीष चौरसिया द्वारा अधिकतम बोली, रु.4,25,000/- लगाई गयी तथा उन्हें भी दिनांक: 01.09.2019 से कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश समस्त धनराशि 10.09.2019 तक जमा करने की शर्त के साथ जारी किया गया। इसके साथ-साथ दोनों ठेकेदारों को चिकित्सा प्रबंधन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा 31.03.2021 तक ठेके को संचालित किए जाने हेतु समय वृद्धि पूर्ववत शर्तों के अनुसार दी गयी थी। अत: मै. अमीर अहमद द्वारा एवं मै. आशीष चौरसिया द्वारा 6 माह की समयवृद्धि के सापेक्ष क्रमश: रु.1,65,000/- एवं रु. 2,12,500/- भी उक्त के अलावा भी जमा किए जाने थे। इस प्रकार मै. अमीर अहमद द्वारा एवं मै. आशीष चौरसिया द्वारा क्रमश: रु. 4,95,000/- एवं रु. 6,37,500/- जमा किए जाने थे।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तक उक्त दोनों चिकित्सालयों में हुए वाहन पार्किंग ठेके के सापेक्ष लेखापरीक्षा तक मै. अमीर अहमद द्वारा रु. 2,70,000/- एवं मै. आशीष चौरसिया द्वारा रु. 2,04,500/- जमा किए गए थे। इस प्रकार मै. अमीर अहमद एवं मै. आशीष चौरसिया द्वारा क्रमश: रु. 2,25,000/- एवं रु. 4,33,000/- जमा किए जाने शेष थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इकाई से पूछे जाने पर उत्तर में कहा गया कि शेष धनराशि को जमा किए जाने हेतु ठेकेदारों को पत्र लिखा जायेगा एवं पूर्व में भी इस संबंध में पत्र लिखा जा चुका है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि निविदा की शर्तों में स्पष्ट था कि एक सप्ताह के अंदर समस्त धनराशि नहीं जमा किए जाने की स्थिति में ठेकेदार की जमा प्रतिभूति जब्द कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

अत: कुल रु. 6.58 लाख राजकोष में एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी नहीं जमा किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

<u>प्रस्तरः06-</u> फर्म को जीएसटी प्रावधानों के विपरीत रु. 0.86 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।

According to Compostion Levy Scheme in GST- The compostion levy scheme is very simple, hassle free compliance scheme for small taxpayers. It is a voluntary and optional scheme. And according to 10(***4***) **A taxable person to whom the provisions of sub-section (*1*) apply shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit of Input tax.**

10(*5*) I**f the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under sub-section (*1*) despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions of this Act, be liable to a penalty and the provisions of section 73 or section 74 shall, *mutatis mutandis*, apply for determination of tax and penalty.**

कार्यालय, प्रमुख अधीक्षक, पं. दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहारादून में साफ-सफाई हेतु मै. आशीष इंटरप्राइजेज़ फर्म को दो वर्ष (01/08/2017 से 31/07/2019 तक) हेतु अनुबंध किया गया था। अनुबंध के अनुसार प्रतिमाह रु. 171250/- (जीएसटी सहित) फर्म को भुगतान किया जाना था।

इसके पश्चात 31.07.2019 को मै. आशीष इंटरप्राईजेज़ का अनुबन्ध समाप्त होने पर दिनांक: 11.06.2019 को प्रबन्धन कार्य कारिणी बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 06 के अनुसार फर्म को एक वर्ष का समय विस्तार दिनांक: 01.08.2019 से 31.07.2020 तक दस प्रतिशत धनराशि जीएसटी सहित बढ़ाया गया था, एवं इस आधार पर जीएसटी सहित प्रतिमाह रु. 188483/- फर्म को भुगतान किया जा रहा था।

इकाई द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार उक्त फर्म अप्रैल 2020 से जीएसटी के अंतर्गत Compostion-स्कीम (जीएसटी नम्बर-05ALVPD6181F1ZY) का लाभ ले रही थी। अत: उक्त विदित जीएसटी प्रावधानों के अनुसार फर्म को अप्रैल 2020 से अपने बिलों में कार्यालय से जीएसटी नहीं लेना था। लेखापरीक्षा में पाया गया की फर्म द्वारा अप्रैल, मई एवं जून 2020 के प्रस्तुत बिलों में जीएसटी तो शून्य दर्शाया गया था, परन्तु जीएसटी की धनराशि रु. 28752/- को प्रतिमाह नेट धनराशि में जोड़ कर बिल प्रस्तुत किया जा रहा था एवं इकाई द्वारा भी बिना इसकी जाँच किए भुगतान किया जा रहा था। इस प्रकार भुगतानित बिलों की जांच में पाया गया कि फर्म को अप्रैल से जून के प्रस्तुत कुल तीन बिलों 2020 में रु. 86256/- का अधिक भुगतान किया गया था। (विवरण संलग्न)

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इकाई से पूछे जाने पर तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की गई एवं उत्तर में कहा गया कि त्रुटिवश अधिक भुगतान किया गया था एवं अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार के लम्बित बिलों से कर ली जाएगी।

अत: फर्म को जीएसटी प्रावधानों के विपरीत रु.0.86 लाख का अधिक भुगतान किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:07-</u> रु 0.50 लाख के विधयुत बिल एवं जलकर की बसूली न किया जाना।

कार्यालय के विधयुत बिलो की जांच करने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा चिकित्सालय के साथ साथ आवासीय भवनो के विधयुत बिलो का भुगतान किया जा रहा था।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आदेशित किया गया था कि चिकित्सालय के आवासीय परिसर मे निवास करने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियो से जनवरी 2019 से प्रतिमाह विधयुत बिल रु 2000 तथा जलकर 500 के बिलो का भुगतान कराना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश का पालन न करते हुये आवासीय परिसर मे निवासरत अधिकारियों एवं कर्मचारियो से प्रतिमाह रु 700 लिया जा रहा था। उसके बाद महानिदेशक द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान मे लिया गया तथा 16 फरवरी 2019 के पत्रांक द्वारा यह अवगत कराया गया था कि विधयुत बिलो का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विधयुत का उपयोग केवल कार्यालय/ अनावासीय भवनों (आवासीय भवनों को छोडकर) मे ही किया जा रहा है। साथ ही आवासीय भवनों मे निवासरत कार्मिक अपना व्यक्तिगत विधयुत संयोजन करा ले।

महानिदेशक द्वारा आदेशित किए जाने के 6 माह बाद कार्मिको द्वारा विधयुत संयोजन कराया गया तथा उक्त अवधि मे भी चिकित्सालय द्वारा विधयुत बिल का भुगतान किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त कार्मिको द्वारा विधयुत एवं जलकर के बिलो का भुगतान चिकित्सालय को 1 से 2 वर्ष बाद किया जा रहा था। चिकित्सालय के आवासीय परिसर मे कार्मिको द्वारा व्यक्तिगत विधयुत संयोजन न कराये जाने के कारण निवासरत 2 कार्मिको[2] द्वारा विद्युत एवं जलकर के बिलो की धनराशि का भुगतान चिकित्सालय को नहीं किया गया था। रु 12340 एवं ₹ 37500 की धनराशि वसूल किया जाना लंबित था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है चिकित्सालय द्वारा अनावासीय भवनों के साथ-साथ आवासीय भवनो के विधयुत देयकों का भुगतान किया जा रहा था, जिससे विधयुत देय के अंतर्गत अधिक व्यय प्रदर्शित हो रहा था। चिकित्सालय द्वारा आवासीय परिसर मे निवासरत अधिकारियों एवं कर्मचारियो से प्रतिमाह रु 700 लिया जा रहा था जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था तथा विधयुत बिलो का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था कि आवासीय भवनो मे कितनी विधयुत यूनिट का उपयोग हो रहा था। साथ ही कार्मिको से रु 0.50 लाख के विधयुत एवं जलकर बिलो की धनराशि

[2] श्री अशोक दतोशी, कनिष्ठ सहायक, (₹ 12340) और श्रीमती सुनीती पंवार, स्टाफ नर्स (₹ 37500)

बसूल किया जाना लंबित था। विधयुत बिलो का भुगतान चिकित्सालय द्वारा किया जाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यो एवं आंकणो की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि प्रमुख अधीक्षक ने रु 700 का निर्धारण स्वयं के विवेकाधिकार का प्रयोग कर निर्धारित किया है एवं दो कार्मिको से धनराशि की वसूली लंबित है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चिकित्सालय द्वारा आवासीय परिसर मे निवासरत अधिकारियों एवं कर्मचारियो से प्रतिमाह रु 700 लिया जा रहा था जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था एवं 2 कार्मिकों से रु 0.50 लाख की धनराशि वसूल नहीं की जा सकी। अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर:08- PRAN आवंटन न होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के खाते में स्वयं का अंशदान रु. 7.61 लाख जमा न हो पाना एवं साथ ही साथ नियोक्ता के अंशदान रु. 10.33 लाख से भी विमुख रहना।

शासनादेश- 21/XXVII(7)C.P.S/2005 दिनांक: अक्टूबर 25, 2005 के अनुसार 01.10.2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी नयी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे। नयी पेंशन योजना के नियमानुसार इसमें आच्छादित कर्मचारियों के नियुक्ति के माह के अगले माह के वेतन से उनके मूल वेतन एवं डीए का 10% की कटौती कर उनके एनपीएस खाते मे जमा किया जाएगा तथा उसके सापेक्ष नियोक्ता द्वारा बराबर अंशदान संबन्धित कर्मचारी के खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII(10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून, 2019 के अनुसार नियोक्ता का अंशदान 01 अप्रैल, 2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया।

कार्यालय, प्रमुख अधीक्षक, पं. दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि डॉ. चिराग बहुगुणा (नियुक्ति तिथि: 25.04.2018), डॉ. दीपिका खट्टर (नियुक्ति तिथि: 08.04.2020), डॉ. आयुषी कंडरी (नियुक्ति तिथि: 03.04.2020), डॉ. उदय गुप्ता (नियुक्ति तिथि: 04.05.2020), डॉ. राहुल अवस्थी (नियुक्ति तिथि: 04/2020), डॉ. नीलांशा राय (नियुक्ति तिथि: 04/2020), डॉ. साक्षी भट्ट (नियुक्ति तिथि: 04/2020) एवं प्रीति रावत (नियुक्ति तिथि: 20.06.2020) के वेतन से नियुक्ति से लेखापरीक्षा तक एनपीएस अभिदान की कटौती नहीं की जा रही थी। अत: इस कारण से नियोक्ता के अभिदान 10/14 प्रतिशत से भी इन्हें वंचित रहना पड़ रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में गणना करने पर पाया गया कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को लेखापरीक्षा तक PRAN आवंटन ना होने के कारण उनके एनपीएस खाते में स्वयं के अंशदान रु. 7,61,357/- जमा नहीं हो सका एवं उसके सापेक्ष नियोक्ता के अंशदान रु. 1,033,403/- से भी संबंधितों को वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार उक्त के एनपीएस खाते में कुल रु. 1,794,760/- जो जमा हो सकते थे, नहीं नहीं हो सके। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.सं.	नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		कुल योग	
		स्वयं का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	स्वयं का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	स्वयं का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	स्वयं का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान
1	डॉ. चिराग बहुगुणा	72487	72487	109494	149786	114033	159646	296014	381919
2	डॉ. दीपिका खट्टर	-	-	-	-	79241	110938	79241	110938
3	डॉ. आयुषी कंडारी	-	-	-	-	79241	110938	79241	110938
4	डॉ. उदय गुप्ता	-	-	-	-	27841	38978	27841	38978
5	डॉ. राहुल अवस्थी	-	-	-	-	94250	131951	94250	131951
6	डॉ. नीलांशा राय	-	-	-	-	85054	119076	85054	119076

7	डॉ. साक्षी भट्ट	-	-	-	-	79241	110938	79241	110938
8	प्रीति रावत	-	-	-	-	20475	28665	20475	28665
						योग (रु.)		**761357**	**1033403**

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की गयी एवं अवगत कराया गया कि PRAN आवंटन की कार्यवाही गतिमान है, आवंटित होने पर कटौती कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति लेखापरीक्षा तक 9 माह से 30 माह पूर्व की थी, जबकि नियमानुसार PRAN आवंटन कर नियुक्ति के अगले माह से अभिदान की कटौती प्रारम्भ होनी चाहिए थी।

अत: PRAN आवंटन न होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के खाते में स्वयं का अंशदान रु. 7.61 लाख जमा न हो पाना एवं साथ ही साथ नियोक्ता के अंशदान रु. 10.33 लाख से भी विमुख रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ'**	**भाग-II 'ब'**	**STAN**
10/2007-08	1,2	1,2,3,4	-
42/2012-13	-	1,2,	1
50/2014-15	-	1,2,3,4,5	-
116/2016-17	-	1,2,3	1
189/2017-18	-	1,2,3	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**			**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	भाग-II 'अ'	**भाग-II 'ब'**	**STAN**			
10/2007-08	1,2	1,2,3,4	-	लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		
42/2012-13	-	1,2,	1			
50/2014-15	-	1,2,3,4,5	-			
116/2016-17	-	1,2,3	1			
189/2017-18	-	1,2,3	-			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	डॉ॰ एल॰ सी॰ पुनेठा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.02.18 से 31.10.18
2	डॉ॰ बी॰ सी॰ रमोला	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.11.18 से 17.10.19
3	डॉ॰ बी सी रमोला	प्रमुख अधीक्षक	17.10.19 से 22.05.20
4	डॉ॰ भागीरथी जंगपानी	प्रमुख अधीक्षक	22.05.20 से 22.10.20
5	डॉ॰ मनोज उप्रेती	प्रमुख अधीक्षक	22.10.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख अधीक्षक पं. दीन दयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी.1